REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2021

छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक' द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत ऋणों का मूल्यांकन

डॉ. ओ. पी. गुप्ता[1] , श्री. ए. के. श्रीवास्तव[2] , डॉ. एच. एस. भाटीया[3]
[1] कॉमर्स विभाग प्रमुख ,शासकीय व्ही.वाय.टी. पी. जी. महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
[2]स. प्राध्यापक कॉमर्स,शासकीय स्व. श्री. देवीप्रसादजी चौबे महाविद्यालय, गंडाई, जि. राजनांदगांव, (छ.ग.)
[3] स. प्राध्यापक कॉमर्स, शासकीय रानी सुर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया, जि. राजनांदगांव, (छ.ग.)

साराशं

एकीकरण के पश्चात ''छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक'' की कार्यप्रणाली एवं लाभदायकता की स्थिति कैसी है? ग्राहकों एवं हितग्राहियों को बैंक की योजनाओं. का कितनी सरलता से लाभ मिल रहा है? अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग की सेवाशर्ते कैसी है? इस विषय में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। जिससे की अध्ययन उपरांत उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किया जा सके जोकि हितग्राहियों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बैंक की सेवाओं से जुडें प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल सकें।

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक' द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत ऋणों का मूल्यांकनकिया गया है जो छत्तीसगढ राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। उपरोक्त वसूली एवं कालातीत ऋणों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

परिचय

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अविकसित एवं पिछडी हुई अवस्था का प्रमुख कारण वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। भारतीय कृषक की आय इतनी कम है कि उससे बचत की आशा करना व्यर्थ ही है। वर्तमान नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिए साख सुविधाओं की मांग निरन्तर बढती ही जा रही है। इसकी पूर्ति साख की एक सुनियोजित एवं सुसंगठित योजना द्वारा ही सम्भव है। इस दिशा में बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर कृषि को संकट से मुक्त कर सकते है एवं साख संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाकर कृषि की उन्नति में सहायक बन सकते हैं। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी।

बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वाणिज्य बैंक द्वारा कृषि वितरण को बढाने का अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। सहकारी साख समितियां और वाणिज्य बैंक मिलकर कृषि वित्त की एक व्यवहार्य प्रणाली प्रदान करते हैं। बैंको के राष्ट्रीयकरण के अनेक उद्देश्य थे जिनमें से एक उद्देश्य यह भी था कि राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाये स्थापित कर कृषि अर्थव्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। ग्रामीण साख के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रयास था। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दिशा में इन बैंकिंग संस्थानों ने अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें स्थातिप की है किन्तु उनकी उपलब्धियाँ संतोषप्रद नही रही। व्यवसायिक बैंको के कर्मचारियों के दृष्टिकोण में आवश्यक बदलाव न होने के कारण वे छोटे कृषकों

को छोटे–छोटे ऋण देने में अधिक सफल नही हो सके। अतः कृषक साहूकार एवं महाजन के चंगुल से पूर्णतया मुक्त नही हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देखा गया कि सदियों के आर्थिक शोषण ने देश के अधिसंख्य नागरिकों को विपन्न कर दिया हैं, अतः उनके विकास के लिये वित्त की आवश्यकता को प्रमुखता से महसूस किया गया पर एक ओर जहाँ की स्वयं के स्रोतों से इतनी अधिक मात्रा में वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना संभव नही था, वही दूसरी ओर विस्तार की दृष्टि से भी इतने बडे देश में विकास कार्यक्रमों को दूर–दराज तक पहुँचाना कठिन था। इन स्थितियों में काम करते हुये यह पाया गया कि वित्त की माँग की पूर्ति बैंको की मदद से काफी हद तक पूरी हो सकती है। अतः इस दिशा में शासन ने कदम बढाये और बैंको पर सामाजिक नियंत्रण व राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गई लेकिन इतना हो जाने के बावजूद व्यापकता की समस्या अभी गंभीर बनी हुई थी। पूर्व स्थापित व्यावसायिक बैंको की स्थापना लागत अधिक थी, अतः देश के दूर–दराज के अंचलो में इनकी शाखाओ का खोला जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि कृषक तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान कराना शासन के लिये दुष्कर हो गया।

ऋण वसूली विश्लेषण

राजनांदगांव ग्रामीण बैंक भी वसूली समस्या से ग्रासित है। हालांकि इसका प्रमुख कारण बैंक को राजस्व वसूली के संबंध में प्राप्त अधिकारों का न मिलना है एवं अधिकांश वसूली न होने वाले ऋण का वितरण समाज के पिछडे एव कमजोर वर्गो को दिया गया है जो गरीबी की रेखा के नीचे आते है।

कुल ऋण वसूली विश्लेषण सारणी

सारणी क्रमांक –

(राशि हजार रूपयों में)

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	कुल अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
2007–08	441000	137100	303900	31%
2008–09	357500	104000	253500	29%
2009–10	396900	109700	287200	28%
2010–11	425829	141268	284561	33%
2011–12	407079	113514	293565	28%
2012–13	423508	155518	267999	37%
2013–14	393465	166564	226901	42%
2014–15	431228	216395	214833	50%
2015–16	539172	328151	211021	61%
2016–17	648940	423876	225064	65%
2017–18	769082	565944	203138	74%
2018–19	871819	707736	164083	81%
2019–20	983646	751009	232637	76%

स्त्रोत – 2007 से 2020 तक का वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी से ज्ञात होता है, कि 2007–08 में कुल ऋण वसूली की मांग रू. 4,41,000 हजार रू. थी जिसमें से वसूली रू. 1,37,100 हजार रू. ही हो सकी मांग पर वसूली का प्रतिशत देखा जाऐ तो यह 31% थी। इसी प्रकार 2008–09 में वसूली प्रतिशत 29% एवं 2010–2011, 2012 एवं 2013 में क्रमशः वसूली प्रतिशत 28%, 33%, 28% एवं 37%था। इसी प्रकार 2044, 15, 16, 17, 18 में वसूली का प्रतिशत क्रमशः बढा है जौ 42%, 50%, 61%, 65% एवं 74% है। 2018–19 में यह वसूली का प्रतिशत 81% तक पहुंच गया। 2019–20 में

कुल योग 983646 हजार रूपयों में से 751009 हजार रूपये वसूल हुये अर्थात् इसका प्रतिशत 76% था। जो बैंक की अच्छी वसूली नीति को प्रदर्शित करता है। अध्ययन अवधि के दौरान सर्वाधिक वसूली 2018–19 में 81% एवं सबसे कम वसूली 28% 2009–2010 एवं 2011–12 में रही। इसका कारण सूखे की स्थिति का निर्मित होना है।

मांग एवं वसूली की राशि को लेकर सांख्यिकी विधि से यह सह संबंध गुणांक की गणना के लिये प्रसिद्ध कार्ल पियर्सन के सूत्र का उपयोग किया गया है।

ऋण मांग एवं वसूली का सह संबंध विश्लेशण ऋण मांग एवं वसूली का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, कि दु.रा.ग्रा.बैं. की औसत (माध्य) मांग 545.32 लाख रूपयों में तथा औसत वसूली 301.60 लाख रूपये है। ऋण मांग का प्रमाप विचलन 198.47 तथा ऋण वसूली का प्रमाप विचलन 225.88 है। इसी प्रकार मांग का विचरण 36.39% एवं ऋण वसूली का विचरण गुणांक 74.89% है। वसूली का विचरण गुणांक, मांग का विचरण गुणांक की तुलना में अधिक है, इससे स्पष्ट है कि ऋण वसूली में मांग की तुलना में अस्थिरता अधिक है। ऋण मांग एवं वसूली में उच्चकोटि का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है।

1) बैक की ऋण की मांग एवं ऋण वसूली में कार्यकारक संबंध है।

2) ऋण मांग राशि एवं ऋण वसूली राशि में अनुपातिक सहसंबंध है। जैसे–जैसे मांग की राशि में वृद्धि की जायेगी वैसे–वैसे वसूली की राशि में वृद्धि होती जायेगी।

कुल ऋण वसूली को दो क्षेत्र में बांटा जा सकता है–

1) कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वसूली।

2) गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वसूली।

1) कुल ऋण वसूली में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वसूली का विश्लेषण–कृषि क्षेत्र के प्रदान किये गये ऋणों में से वसूली का विवरण।

कृषि ऋण वसूली विश्लेषण सारणी

सारणी क्रमांक

(राशि हजार रू. में)

वर्ष	मांग	व्सूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
2007–08	233000	75200	157800	32%
2008–09	204700	49400	155300	24%
2009–10	235500	56300	179200	24%
2010–11	259704	79635	180069	31%
2011–12	239224	54530	184694	23%
2012–13	262214	89646	172568	34%
2013–14	226201	71657	154544	32%
2014–15	255825	109248	146577	43%
2015–16	290441	149856	140585	50%
2016–17	400697	237554	163143	52%
2017–18	488225	350097	138128	59%
2018–19	566757	438055	128702	77%
2019–20	655600	469500	186100	72%

स्त्रोत–2007 से 2020 तक वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी से ज्ञात होता है, कि 2007–08 में कृषि क्षेत्र में मांग योग्य वसूली रू. 2,33,000 हजार में थी जिसमें से वसूली रू. 75200 हजार रूपयों में हुई, इसका यदि मांग पर प्रतिशत देखा जाऐ तो यह 32% था। इसी प्रकार 2008–09, 09–10, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 24%, 24%, 31%, 23% एवं 34% था एवं 2014, 15, 16, 17, 18 में क्रमशः 32%, 43%, 52%, 59%, एवं 72% रहा अर्थात वसूली राशि में वृद्धि होने से प्रतिशत में वृद्धि हुई। 2008–09 में वसूली का प्रतिशत 77% रहा। 2019–20 में कृषि में मांग 655600 हजार रूपयों में थी जिसमें 469500 हजार रूपये वसूल हुये प्रतिशत के रूप में देखा जाये तो यह 72% था। अध्ययन के दौरान सबसे अधिक वसूली प्रतिशत 2018–19 में 77% एवं सबसे कम वसूली प्रतिशत वर्ष 2011–12 में 23% रही। इसका कारण सूखे की स्थिति का निर्मित होना हैं, सारणी के देखने से ज्ञात होता है कि 2011–12 से वसूली प्रतिशत में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है।

कुल ऋण वसूली में गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वसूली का विश्लेषण – गैर कृषि क्षेत्र में प्रदान किऐ गए ऋणों में से वसूली का विवरण

गैर–कृषि ऋण वसूली विष्लेशण

सारणी क्रमांक –

(राषि हजार रू. में)

वर्ष	मांग	व्सूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
2007–08	208000	61900	146100	30%
2008–09	152800	54600	98200	36%
2009–10	161400	53400	108000	33%
2010–11	166125	61633	104492	37%
2011–12	167855	58984	108871	35%
2012–13	161294	65872	95422	41%
2013–14	167264	94907	72357	57%
2014–15	175403	107147	68256	61%
2015–16	248731	178295	70436	72%
2016–17	248343	186322	61921	75%
2017–18	280857	215847	65010	77%
2018–19	305062	269681	35381	88%
2019–20	328000	281500	46800	86%

स्त्रोत–वार्षिक प्रतिवेदन 2007 से 2020 तक

सारणी देखने से ज्ञात होता है कि 2007–08 में गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वसूली की मांग रू. 2,08,000 हजार थी, जिसमें से रू. 61900 हजार रू. ही वसूल हुऐ यदि इसका वसूली पर प्रतिशत देखा जाए तो यह 30% था। इसी प्रकार 2009 से 2013 तक प्रतिशत क्रमशः 36%, 33%, 37%, 35% एवं 41% था एवं 2004, 05, 06, 07, 08,09 में क्रमशः 57%, 61%, 72%, 75%, 77% एवं 88% रहा। 2019–2020में मांग 328000 हजार रूपयों में थी जिसमें वसूली 281500 हजार रूपयों में हुई वसूली पर यदि प्रतिशत देखा जाये तो 86% रा। सबसे अधिक वसूली 86% 2019–20 में एवं सबसे कम वसूली का प्रतिशत 2007–08 में 30% रहा। सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि 2012–13 से इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र एवं गैर कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत गैर कृषि क्षेत्र की तुलना में कम है।

कालातीत ऋणों का विश्लेषण :–

ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की सामान्य अपेक्षा होती है, कि ऋणकर्ता निर्धारित समय चुकौती करें ताकि ऋण सुविधाओं की निरन्तरता बनी रहे। लेकिन यह सामान्य अपेक्षा बहुधा पूरी नही होती। देय राशि ऋणकर्ता द्वारा समय पर बैंक को नही चुकाई जाती।

किसी वर्ष के लिए ऋणकर्ता से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक बैंक को प्राप्त नही हो पाती उसे ही कालातील ऋण कहते है। यह अति देय राशि जैसे–जैसे पुरानी होते जाती है इसकी वसूली और भी कठिन होते जाती है।

वर्तमान में लगभग हर वर्ग के बैंक कालातीत ऋणों की समस्या से पीडित है। दु.रा.ग्रा.बै. भी इस समस्या से मुक्त नही है। इस बैंक के विगत 13 वर्षों (2007–2020) के कालातीत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है –

कालातीत ऋण विश्लेषण –

राजनांदगांव ग्रामीण बैंक के कालातीत ऋण विश्लेषण को दो भागों में बांटा जा सकता हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों की कार्यप्रणाली का सबसे बडा दोष यह है, कि उनके अवधिपार ऋणों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती गई। अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण रिपोर्ट 1954 के अध्ययन में बताया गया है, कि 1950–51 में देश में अवधिपार ऋण 3 करोड रूपये के बराबर थे। एक और अध्ययन में बताया गया हैं, कि 1950–51 में देश में अवधिपार ऋण 3 करोड रूपये के बराबर थे। एक और अध्ययन में बताया गया है, कि 1984–85 में अवधि पार ऋण 1463 करोड के बराबर हो गया।

''कुछ राज्यों जैसे–असम, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, उडीसा तथा राजस्थान में यह अनुमान और भी अधिक था। यहां तक अधिक विकसित राज्य महाराष्ट्र में अवधिपार ऋणों की कुल बकाया राशि 25 प्रतिशत थी। यह एक गंभीर चनौती है। यदि इस संबंध में प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये तो हो सकता हैं कि कुछ राज्यों में सहकारी आंदोलन समाप्त ही हो जाये।''

वर्ष 1969 में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ''रिपोर्ट ऑफ दी ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेंटी'' मुम्बई–सहकारिता वसूली तथा सुपरविजन अध्याय में कालातीत ऋण के बारे में लिखा है–

देश की सहकारी संस्थाओं में कालातीत ऋण के आकार तथा चूककर्ता किसानों की बढती प्रवृत्ति समूचे सहकारी ढांचे के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है।

भारत में सहकारी के क्षेत्र में विशेषकर जिला–सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा प्राथमिक सहकारी साख समिति में कालातीत ऋण की गंभीर समस्या का अध्ययन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक के डॉ. सी. डी. दाते की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1972 को एक अध्ययन दल का गठन किया था।

समिति ने प्राकृतिक कारणवश कृषि उत्पादन में नुकसान को ध्यान में रखकर तथा किसानों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर कालातीत ऋण के संदर्भ में निम्नानुसार छूट की सिफारिश की थी–

1) कृषि क्षेत्र में कालातील ऋण।
2) गैर कृषि क्षेत्र में कालातीत ऋण।

कृषि क्षेत्र में कालातीत ऋण विश्लेषण

सारणी क्रमांक –

(राशि हजार रूपयों में)

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	कुल अतिदेय	अतिदेय का प्रतिशत
2009–10	235497	56313	179184	76%
2010–11	259704	79635	180069	69%
2011–12	239224	54530	184694	77%
2012–13	262214	89649	17256	66%

2013–14	226201	71657	154544	68%
2014–15	255825	109248	146577	57%
2015–16	290441	149856	140585	48%
2016–17	400697	237554	163143	41%
2017–18	488225	350097	138128	28%
2018–19	566800	438100	128700	23%
2019–20	655600	469500	186100	28%

स्त्रोत – 2009 से 2020 तक वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि 2009–2010 में कुल मांग 235497 हजार रूपयों में प्रतिशत देखा जाये तो 76: ऋण कालातीत था, जबकि 2019–20 में कुल मांग 655600 हजार रूपयों में थी जिसमें से 186100 हजार रूपये कालातीत थे अर्थात् कुल माग पर इसका प्रतिशत 28% हो गया। अर्थात् कालातीत ऋणों के प्रतिशतत में कमी आयी है। सारणी को देखने से ज्ञात होता है, कि 2013–14 से इसमें प्रत्येक वर्ष कमी आयी है अर्थात् वसूली का प्रतिशत बढा है एवं कलातीत ऋणों का प्रतिशत घटा है जो कि बैंक की अच्छी वसूली को बताता है। यदि अध्ययन अवधि में कमी को प्रतिशत के रूप में देखा जाये तो कालातीत ऋणों ममें 48% की कमी आयी है।

गैर कृषि क्षेत्र में कालातीत ऋण विश्लेषण

सारणी क्रमांक –

(राशि हजार रूपयों में)

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	कुल अतिदेय	अतिदेय का प्रतिशत
2009–10	161414	53381	108033	67%
2010–11	166125	61633	104492	63%
2011–12	167855	58984	108871	65%
2012–13	161294	65872	95422	59%
2013–14	167264	94907	72357	43%
2014–15	175403	107147	68256	39%
2015–16	248243	178295	70436	28%
2016–17	248243	186322	61921	25%
2017–18	280857	215847	65010	23%
2018–19	305000	269600	35400	12%
2019–20	328000	281500	46500	14%

स्त्रोत – 2009 से 2020 तक वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी देखने से ज्ञात होता है कि गैर कृषि क्षेत्रों में कालातीत ऋणों का प्रतिशत क्रमशः घटता जा रहा है। 2009–2010 में कुल मांग 161414 हजार रूपयें में थी जिसमें अतिदेय 108033 हजार रूपयें में थी अर्थात् कुल मांग से इसका प्रतिशत देखा जाये तो यह 67% था एवं 2019–20 में कुल मांग 328000 हजार रूपयों में थी, जिसमें से अतिदेय 46500 हजार रूपयों में था अर्थात् यह 14% कालातीत था, यदि अध्ययन अवधि के दौरान प्रतिशत में देखा जाये तो कालातीत ऋणों में 53% की कमी आयी।

निष्कर्ष

- सारणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है, कि गैर क्षेत्र में भी कालातीत ऋणों का प्रतिशत घटते जा रहा है अर्थात वसूली की राशि बढती जा रही है, जो बैंक की अच्छी वसूली नीति को प्रदर्शित करता है यद्यापि कालातीत ऋणों में कमी आयी है, लेकिन फिर भी यह बैंक की प्रमुख समस्या बनी हुई है।
- कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो गैर कृषि क्षेत्र में कालातीत ऋणों के प्रतिशत में कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक कमी आयी है अर्थात् गैर कृषि क्षेत्र में ऋणों में वसूली का प्रतिशत कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक रहा।

संदर्भ

- देवेन्द्र कुमार वर्मा बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यो का मूल्यांकन पृ.क्र. 04 से 05
- डॉ. एस. के. सिंह (2008), भारतीय बैंकिग प्रणाली – पृ.क्र. 133
- अभय कापरे. छ. ग. राज्य में क्षे. ग्रा. बै. का वित्तीय प्रबंध (शोध कार्य) पृ. क्र. 31
- रीजनल रूलर बैंकर एण्ड इंस्टीट्यूशनल ऑफ रूलर (1988). पृ. क्र 28 से 38
- डॉ. एस. के. सिंह (2008), भारतीय बैंकिंग प्रणाली – पृ. क्र. 132 वर्ष
- सिंह प्रकाश (2005), उपकार मनु पृ. क्र. 397
- मिश्रा. जे. पी. (2008), भारतीय बैंकिंग प्रणाली पृ. क्र. 132
- शैक्षणिक अनुसंधान पद्धति सरीन व सरी (2008), पृ. क्र. 84
- द्विवेदी., आर. एन. (2000), रिसर्च मैथ्डलॉजी. पृ. क्र. 264
- जिला सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 2012–13 पृ. क्र. 06
- डॉ. एच. आर. स्वामी एवं डॉ. बी. पी. गुप्ता, (2001), ''ग्रामीण भारत में सहकारिता'' रमेंश बुक डिपो जयपुर प्रकाशन
- प्रोफे. एम. आर. काले, (1980), ''भारत में सहकारी आंदोलन'' रामनारायण लाल, बेनीप्रसाद इलाहाबाद.
- डॉ. नरेंद्र पाल सिंह एवं नवनीत कुमार राजपूत (2005), ''ग्रामीण वित्त प्रबंधन में जिला सहकारी बैकों की भूमिका'' कुरूक्षेत्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली.
- डॉ. पी. शंकरन (2004), ''भारतीय सहकारिता आंदोलन अतीत् वर्तमान और भविष्य'' कुरूक्षेत्र
- कटार सिंह, (2004), ''नये युग में सहकारिता और सहाकरी बैंको के विकास की रणनीति'' कुरूक्षेत्र.
- बद्रीविशाल त्रिपाठी, (2006), ''भारतीय कृषि (समस्याएं विकास एवं संभावनाए) किताब महल, 22 ए–सरोजनी नायडू मार्ग– इलाहाबाद.
- डॉ. एस. के. मिश्र, (1996), ''छत्तीसगढ में सहकारी अधिकोष संस्थाओं की गतिविधियों का मूल्यांकन'' शोध प्रबंध, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
- श्री काशीगोपाल श्रीवास्तव, (2000), ''औद्योगिक सहकारिता द्वारा रोजगार'' योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।
- डॉ. अमृत पटेल, (2004), ''सहकारी बैकिंग उपलब्धियां और चुनौतियां' कुरूक्षेत्र
- डॉ. सैमवेल के. लोपोयेटम, (2004), ''सहकारी बैंकिंग समस्याएं और संभावनाए'' कुरूक्षेत्र
- डॉ. एल. पी. सिंह, (2004), ''सहकारी विपणन वर्तमान स्थिति, सीमाएं और सुधार के उपाय कुरूक्षेत्र.
- श्री. विनय एम. आर और मन्जप्पा डी. एच. (2004), ''दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां आर्थिक सामाजिक दायित्व''कुरूक्षेत्र
- डॉ. नीरज पसरीचा, डॉ. ओ. एन. लाल और वी. के. पाण्डे, (2004)''सहकारी आंदोलन के विकास में शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका'' कुरूक्षेत्र,

- पी. सी. जैन, ''सहकारिता'' प्रकाशक रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर
- डॉ. बी. एस. माथुर, (1990), ''सहकारिता (विदेशों में सहकारिता सहित)'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा.
- डॉ. अनिमा मोदी, (2011), विभागाध्यक्ष – अर्थशास्त्र, विभाग, जी. एस. एस. गर्ल्स (पी. जी.) कॉलेज चिडाव, ''ग्रामीण विकास में संस्थांगत ऋणों की भूमिका'' कुरूक्षेत्र
- भूपाल सिंह नेगी, (1990), ''को–ऑपरेटिव क्रेडिट एण्ड रीजनल डव्हलपमेंट'' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
- के. ए. सुरेश एवं मौली जोसफ, (1990), ''को–ऑपरेटिव एण्ड रूरल डव्हलपमेंट इन इण्डिया'' आशीष पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली.
- जया एस. आनंद, (1999), ''को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डव्हलपमेंट बैंकस'' अन्टलाटिंक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली.
- डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल, (2004), ''सहकारिता के विकास में पंचायती राज का योगदान'' कुरूक्षेत्र.